बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांकः यो09/S.H.A-05/2023 350 स्वी० /यो0वि0,पटना, दिनांक 08 मई, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु सभी जिला योजना पदाधिकारी तथा सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग को मो0 6,84,08,701/– (छह करोड़ चौरासी लाख आठ हजार सात सौ एक) रूपये की विमुक्ति की स्वीकृति।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 से किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–955 दिनांक–15.12.2020 द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1141 दिनांक–23.03.2021 द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (2021–22 से 2025–26) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु बिहार विकास मिशन द्वारा संविदा के आधार पर प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, Single Window Operator एवं Multi Purpose Assistant की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी है।

4. राज्य स्तर पर आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, पटना में कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है जिसमें एक Toll Free No., 4PRI Line एवं एक Leased Line वर्तमान में कार्यरत है।

5. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की साफ–सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं Outsourcing के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की सुरक्षा हेतु गृह रक्षा वाहिनी की सेवाएं ली गयी है।

6. आउटसोर्सिंग के आधार पर ली गयी सेवाएं तथा गृह रक्षा वाहिणी के मानदेय का भुगतान संविदा सेवाएं मद में आवंटित राशि से नियमानुसार की जायेगी।

7. विमुक्त की गयी राशि का व्यय जिला योजना पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर की जाएगी।

8. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या–35–योजना एवं विकास विभाग, मुख्य शीर्ष–2235, समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष–0117–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, विपत्र कोड 35-2235602000117 के संबंधित विषय शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

9. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, दूरभाष, विद्युत प्रभार, प्रशिक्षण व्यय, अनुरक्षण एवं मरम्मति मद तथा संविदा सेवाएं मद में जिला योजना पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग को दूरभाष के लिए उनके नाम के संमुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए कुल 6,84,08,701/– (छह करोड़ चौरासी लाख आठ हजार सात सौ एक) रूपये मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :–

P.T.O.

क्र0	विभाग / जिला का नाम	यात्रा व्यय–1101	कार्यालय व्यय–1301	दूरभाष–1303	विघुत प्रभार–1304	प्रशिक्षण व्यय–2003	अनुरक्षण एवं मरम्मति–2702	संविदा सेवाएँ–2802	कुल आवंटित राशि
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग	0	0	4000000	0	0	0	0	4000000
2	औरंगाबाद	2000	1000000	5000	250000	4000	0	900000	2161000
3	अररिया	2000	800000	15000	250000	4000	1364676	700000	3135676
4	अरवल	0	500000	10000	250000	0	0	400000	1160000
5	भभुआ (कैमुर)	5000	800000	20000	250000	5000	0	400000	1480000
6	भागलपुर	2000	800000	25000	250000	5000	0	800000	1882000
7	बेगूसराय	0	1200000	25000	250000	0	0	900000	2375000
8	भोजपुर	10000	1000000	25000	250000	5000	0	800000	2090000
9	बांका	2000	700000	11000	250000	0	0	500000	1463000
10	बक्सर	6000	500000	30000	250000	5000	0	700000	1491000
11	दरभंगा	5000	800000	15000	250000	5000	0	900000	1975000
12	पूर्वी चम्पारण	0	500000	50000	250000	0	0	900000	1700000
13	गोपालगंज	0	500000	50000	250000	0	0	700000	1500000
14	गया	2000	600000	10000	250000	4000	0	700000	1566000
15	जमुई	5000	500000	5000	250000	5000	0	600000	1365000
16	जहानाबाद	2000	500000	30000	250000	4000	0	400000	1186000
17	खगड़िया	5000	600000	10000	250000	5000	0	400000	1270000
18	किशनगंज	5000	600000	10000	250000	5000	0	900000	1770000
19	कटिहार	2000	600000	20000	250000	2000	0	700000	1574000
20	लखीसराय	0	500000	5000	250000	5000	0	600000	1360000
21	मधुबनी	2000	600000	5000	250000	0	0	700000	1557000
22	मधेपुरा	0	600000	0	250000	0	0	600000	1450000
23	मुंगेर	10000	500000	10000	250000	5000	0	900000	1675000
24	मुजफ्फरपुर	5000	1000000	30000	250000	5000	0	900000	2190000
25	नालन्दा	2000	700000	30000	250000	4000	0	900000	1886000
26	नवादा	2000	500000	5000	250000	4000	0	500000	1261000
27	पूर्णियाँ	10000	300000	25000	250000	5000	0	700000	1290000
28	पटना	0	800000	10000	250000	0	778021	500000	2338021
29	रोहतास	2000	800000	10000	250000	4000	0	500000	1566000
30	सहरसा	3000	500000	35000	250000	2000	0	900000	1690000
31	शिवहर	2000	500000	5000	250000	4000	0	500000	1261000
32	शेखपुरा	0	500000	15000	250000	0	788004	900000	2453004
33	सितामढ़ी	2000	600000	25000	250000	4000	0	800000	1681000
34	सुपौल	5000	600000	15000	250000	2000	0	900000	1772000
35	सारण	0	500000	24000	250000	0	0	400000	1174000
36	समस्तीपुर	10000	900000	10000	250000	5000	0	900000	2075000
37	सिवान	2000	600000	20000	250000	4000	0	600000	1476000
38	वैशाली	0	900000	0	250000	0	0	600000	1750000
39	प0 चम्पारण	0	600000	10000	250000	0	0	500000	1360000
	कुल	**112000**	**25000000**	**4655000**	**9500000**	**111000**	**2930701**	**26100000**	**68408701**

(छह करोड़ चौरासी लाख आठ हजार सात सौ एक) रूपये

10. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग तथा संबंधित जिला योजना पदाधिकारी होंगे।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह 5वीं तारीख तक जिला योजना पदाधिकारी अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं भुगतान के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

8.5.25

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2023 350 / यो0वि0,पटना, दिनांक 05 मई, 2025

प्रतिलिपि: सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.5.25

सरकार के विशेष सचिव

P.T.O.

1001

SHA Letter_411_April, 2023

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 350 स्वी० /यो0वि0,पटना, दिनांक 08 मई, 2025

प्रतिलिपिः विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एंव विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.5.25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 350 स्वी० /यो0वि0,पटना, दिनांक 08 मई, 2025

प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.5.25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 350 स्वी० /यो0वि0,पटना, दिनांक 08 मई, 2025

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.5.25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 350 स्वी० /यो0वि0,पटना, दिनांक 08 मई, 2025

प्रतिलिपिः मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.5.25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 350 स्वी० /यो0वि0,पटना, दिनांक 08 मई, 2025

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8.5.25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 350 स्वी० /यो0वि0,पटना, दिनांक 08 मई, 2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8.5.25

सरकार के विशेष सचिव